तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 1014 / 2005 / टोंक रामप्रकाश बनाम हनुमान वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एकल पीठ
श्री द्वारका लाल मीणा, सदस्य

उपस्थित–
श्री वी0पी0सिंह, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री अजीतसिंह, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः–07–3–2018

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी पीपलू द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–2–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

आलोच्य आदेशानुसार प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम (1) 3 तथा आदेश 14 नियम 5 सीपीसी को खारिज किया गया है।

हमने निगरानी के संबंध में उभयपक्ष की बहस सुनी।

अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी ने निगरानी मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए आक्षेपित आदेश को त्रुटिपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि न्यायालय ने जो तनकीयात कायम की है, उसमें प्रार्थी के जवाबदावे का समावेश पूर्णतया नहीं है एवं तनकीयात को तोड–मरोडकर कायम की गई थी, जिन्हें उनके प्रार्थना पत्र के अनुसार संशोधित किया जाना आवश्यक है, जिससे कि प्रार्थी संबंधित तनकीयात पर अपनी साक्ष्य प्रस्तुत कर विवाद्यक को साबित करवा सके। उनका आगे कथन है कि प्रस्तुत दस्तावेज वाद के न्यायोचित रूप से निस्तारण के लिए आवश्यक है तथा पंजीकृत विक्रय पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 1014 / 2005 / टोंक रामप्रकाश बनाम हनुमान वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जिसके द्वारा प्रार्थी ने भूमि को क्रय किया है। इस कारण आलोच्य दस्तावेज दावे का आधार है। उनका तर्क है कि वांछित दस्तावेज को रेकार्ड पर नहीं लेने से प्रार्थी की साक्ष्य सम्भव नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में किया गया विवेचन विधि सम्मत नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि अस्पष्ट तनकी पर कोई विवेचना नहीं हो सकती है। अन्त में उन्होंने निगरानी स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी पीपलू द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-2-2005 को निरस्त कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 5 व आदेश 8 (1) 3 सीपीसी को स्वीकार किए जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत अप्रार्थीगण/वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत निगरानी का घोर विरोध करते हुए आक्षेपित निर्णय को तर्कसंगत, न्यायसंगत तथा विधि सम्मत होना बताते हुए निगरानी को खारिज करने की प्रार्थना की। उनका कहना है कि प्रार्थी जो तनकी जुडवाना चाहता है, वह पूर्व की तनकीयात में अंकित है एवं जो दस्तावेजात प्रस्तुत किए गए है, वे दस्तावेजात तनकी/साक्ष्य से पूर्व पेश करने चाहिए। चूँकि साक्ष्य वादी पूर्ण हो चुकी है तथा पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी हेतु जैरकार है। उनका कहना है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आलोच्य प्रार्थना पत्र में जिन तथ्यों को उठाया है, वह मात्र प्रकरण में अनावश्यक देरी करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। जिसे अनुमति नहीं देकर अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की कोई त्रुटिकारित नहीं की है। उक्त तथ्यात्मक परिवेश में आक्षेपित आदेश विधि सम्मत है, जिसमें निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 1014 / 2005 / टोंक रामप्रकाश बनाम हनुमान वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नहीं है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत निगरानी को खारिज कर आक्षेपित आदेश को यथावत रखे जाने का निवेदन किया है। उन्होंने अपने तर्को के समर्थन में 2009 (16) आरबीजे पेज 102, 2007 (1) आरएलडब्ल्यू राज0 पेज 443, 2001 (2) आरआरटी पेज 683 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा उपलब्ध रेकार्ड का अध्ययन व अवलोकन किया।

हस्तगत प्रकरण आदेश 14 नियम 5 सीपीसी से संबंधित है, जिसका सुसंगत प्रावधान निम्नानुसार हैः–

> **''विवाद्यकों का संशोधन और उन्हें काट देने की शक्ति – न्यायालय डिक्री पारित करने से पूर्व किसी भी समय ऐसे निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे, विवाद्यकों में संशोधन कर सकेगा या अतिरिक्त विवाद्यकों की विरचना कर सकेगा और ऐसे सभी संशोधन या अतिरिक्त विवाद्यक जो पक्षकारों के बीच में विवादग्रस्त बातों के अवधारण के लिए आवश्यक हों, इस प्रकार किए जाएंगे या विरचित किए जाएंगे।''**

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 (1) 3 सीपीसी में उल्लेखित किया गया कि संबंधित दस्तावेज जो पंजीकृत विक्रय पत्र की प्रति, नक्शा ट्रेस, गिरदावरी सम्वत 2060 जो कि प्रतिवादी की साक्ष्य में महत्वपूर्ण दस्तावेजात है। उक्त दस्तावेज फर्जी होने का अंदेशा नहीं है।

इसी प्रकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 5 सीपीसी में उल्लेखित किया गया है कि तनकी संख्या 2 वादी नाबालिग होना अंकित किया है, जो गलत है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 1014 / 2005 / टोंक रामप्रकाश बनाम हनुमान वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उक्त समय वह बालिग था, उक्त बिन्दु में संशोधन किया जाए। आगे अंकन है कि तनकी संख्या 3 में जब प्रतिवादी जरिये पंजीकृत विक्रय आराजी क्रय की है तथा आराजी में वादी का कोई संबंध नहीं है तथा तनकी संख्या 4 वादी उक्त भूमि कब्जे के संबंध में बनाई है, वह गलत है। विधायिका की मंशा के अनुसार हमारा विनम्र मत है कि जब तक किसी विवाद बिन्दु पर विस्तृत रूप से उसकी विवेचना करते हुए निर्णय नहीं होता तो उस निर्णय की कोई वैधानिक प्रासंगिकता नहीं है तथा कानून की दृष्टि में ऐसा निर्णय विधिनुकूल नहीं है। इसके अतिरिक्त विवाद के विषय का निपटारा नहीं होने से भविष्य में पक्षकारान के मध्य और अधिक कानूनी जटिलताएं पनपने का अंदेशा बना रहता है। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुचते हैं कि वाद पत्र एवं जवाबदावे में अंकित कथनानुसार प्रार्थी द्वारा चाहा संशोधन युक्तियुक्त है तथा बिना संशोधन प्रार्थी अपनी सम्पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर से वंचित हो सकता है। उपलब्ध विधिक प्रावधान एवं प्रार्थना पत्रों में उल्लेखित उद्धरणों के प्रकाश में आक्षेपित आदेश का परीक्षण करने पर हम पाते है कि पारित किया गया आदेश विधि के अनुकूल नहीं है। अतः हमारी सुविचारित राय में प्रस्तुत निगरानी में विधिक बिन्दु निहित होने के कारण स्वीकार की जाकर आक्षेपित निर्णय को खारिज किया जाना समीचीन है। अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों के तथ्य वर्तमान प्रकरण की स्थिति से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होते है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 1014 / 2005 / टोंक रामप्रकाश बनाम हनुमान वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी पीपलू द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-2-2005 को निरस्त किया जाता है। प्रार्थी के आलोच्य प्रार्थना पत्रों को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वांछित संशोधनों का समावेश करते हुए विचाराधीन वाद में विधिनुसार आगामी विचारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(द्वारका लाल मीणा)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 1014 / 2005 / टोंक रामप्रकाश बनाम हनुमान वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए